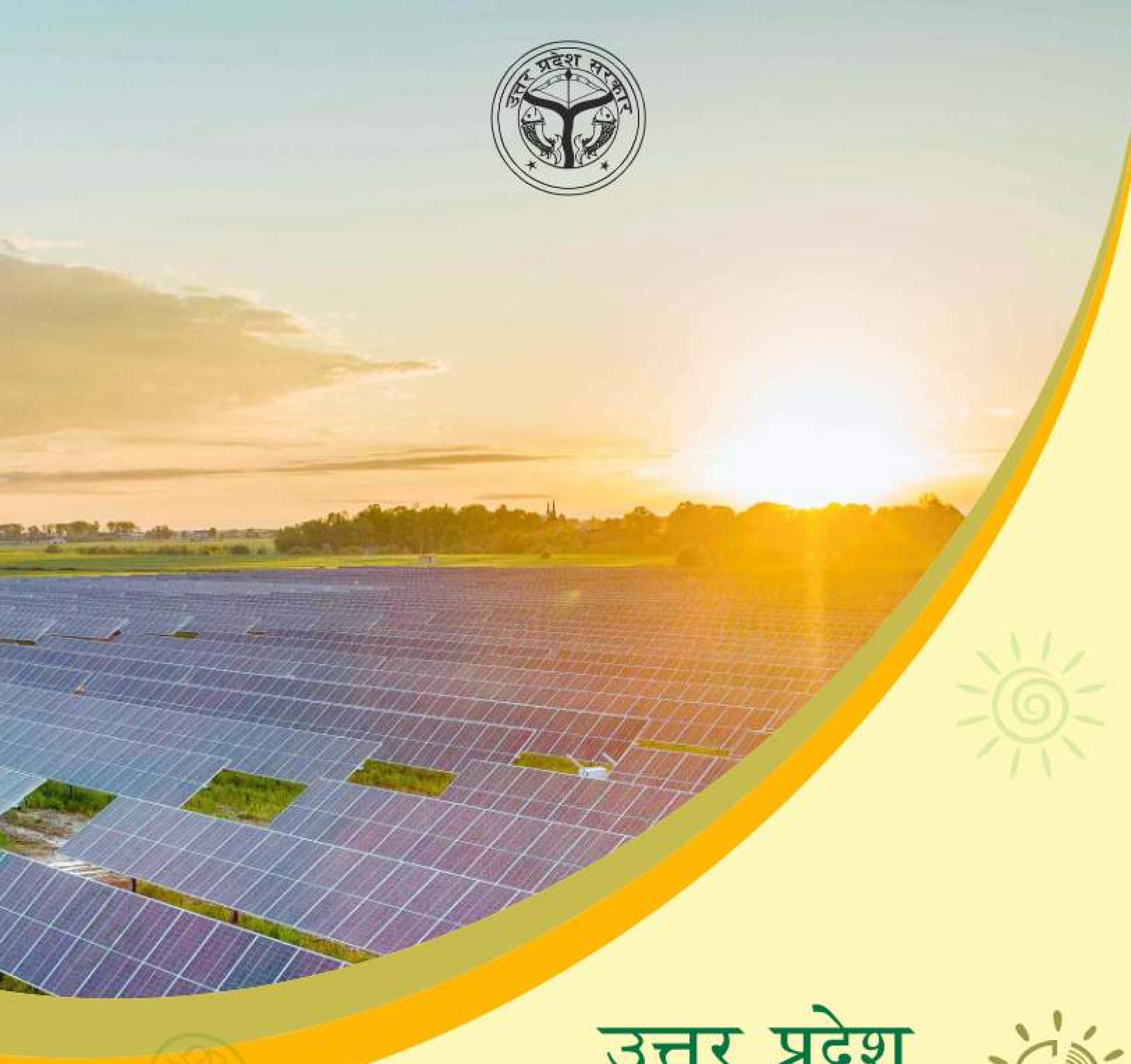

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022

SAEL-32 MW Jalaun

UP Solar Park-75 MW Parasan, Jalaun

Floating Solar Power Plant 20 MW at NTPC Auriya Power Station

विषय सूची

1	प्रस्तावना	1
2	परिकल्पना एवं उद्देश्य	2
3	शीर्षक एवं संचालन अवधि	2
4	परिभाषाएं एवं संक्षिप्तीकरण	3
5	नीति के लक्ष्य	7
6	यूपीनेडा नोडल एजेंसी	9
7	रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स	11
8	ऑफ–ग्रिड सौर एप्लीकेशनस	17
9	फीडर स्तर पर सौर ऊर्जा से उर्जीकरण (यूटीलिटी स्केल ग्रिड पावर प्रोजेक्ट्स)	19
10	सौर पार्कों का विकास	23
11	स्टोरेज सिस्टम के साथ सौर ऊर्जा परियोजना	25
12	भूमि का क्रय और आवंटन	26
13	सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन और सुविधाएं	28
14	अनुमोदन क्रियाविधि	34
15	उत्तर प्रदेश सौर एनर्जी डवलपमेण्ट फण्ड (यूपीएसईडीएफ)	37
16	सौर परियोजनाओं को पूर्ण करने की समयावधि	37
17	सौर उपकरणों का विनिर्माण	37
18	रोजगार सृजन एवं कौशल विकास	38
19	नीति के संशोधन एवं व्याख्या अधिकार	38

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार

संदेश

उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एवं जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और संम्भावित प्रभाव को महत्व देते हुए राज्य सरकार प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतो को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है इसी क्रम में सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत वर्ष 2027 तक कुल 22000 मेगावाट क्षमता की स्थापना लक्षित है।

इस नीति का उददेश्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के स्रोत में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के साथ रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी प्रदान कराना भी है।

प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र –2022 में राज्य में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत किसानों को सोलर पम्प प्रदान करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत को बेचने के लिए उचित व्यवस्था कराने का संकल्प है। इसकी पूर्ति के लिए राज्य में क्रियान्वित प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषको को अपने स्थापित निजी ऑन ग्रिड पम्प अर्थात नलकूपो को निःशुल्क सौर ऊर्जीकृत एवं अन्य कृषकों के नलकूपों को मात्र 10 प्रतिशत देय अंशदान के साथ सौर ऊर्जीकृत करने हेतु विशेष राज्यानुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

सौर ऊर्जा नीति में निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना एवं बैटरी स्टोरेज के साथ सौर विद्युत परियोजना की स्थापना पर राज्यानुदान दिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

राज्य में सोलर पावर पार्क एवं सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नीति के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीति के क्रियान्वयन से ऊर्जा सुरक्षा व सम्यक ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करने के साथ–साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उददेश्य की पूर्ति भी होगी।

(योगी आदित्यनाथ)

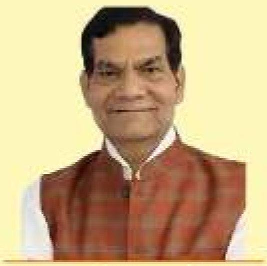

ए.के. शर्मा

मंत्री
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उत्तर प्रदेष सरकार

संदेश

भारत का हमेशा से मानना रहा है कि प्रकृति ही हमारा पालन पोषण करती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, इन मूल्यों के प्रति और उनकी प्राप्ति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और भी मजबूत हुई है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य भी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ा है। इसी उद्देश्य से हमने नई सौर ऊर्जा नीति–2022 शुरू की है।

अगले 05 वर्षों में 22 GW सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ, इस सौर नीति का उद्देश्य राज्य में पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा का "इष्टतम ऊर्जा मिश्रण" बनाना है। इस मिशन को पूरा करने के लिए, पर्याप्त वित्तीय और ढांचागत प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। वे अत्याधुनिक सौर पार्कों के निर्माण, ग्राम पंचायत भूमि के उपयोग, अलग कृषि सौर ऊर्जा फीडर और निजी नलकूपों के निर्माण के लिए लागू हैं। सरकारी और अर्ध–सरकारी भवनों, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों और निजी आवासों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप प्लांट की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाना है।

विशाल भू–भाग और साल में लगभग 300 दिनों की धूप के साथ, यूपी में सौर ऊर्जा पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि इस सौर ऊर्जा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और हमारी सहायक भूमिका के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य देश में सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अग्रणी भूमिका निभाएगा और साथ ही भारत को वैश्विक समुदाय के प्रति की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को साकार करने में मदद करेगा।

(ए.के. शर्मा)
मंत्री
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उत्तर प्रदेष सरकार

डॉ सोमेन्द्र तोमर

राज्य मंत्री
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

संदेश

राज्य में इस नीति के माध्यम से पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक समग्र परिस्थिति की तंत्र विकसित करने की योजना बनायी गयी है।

सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत लक्षित क्षमता 22000 मेगावाट की प्राप्ति के लिए क्षेत्र के उपभोक्ताओं, व्यक्तियों और विकासकर्ताओं के सहयोग हेतु नये तंत्र विकसित किया जायेगा।

राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नीति के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मुझे विश्वास है कि सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश में विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा की पहुँच सभी के लिए सुनिश्चित कराने के उददेश्य की पूर्ति होगी।

(डा0 सोमेंद्र तोमर)
राज्य मंत्री
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

01 प्रस्तावना

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में वैश्विक प्रतिबद्धता के दृष्टिगत हरित ऊर्जा की आपूर्ति पर बल दिया जाना आवश्यक है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचित विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक स्थापित करने हेतु भारत सरकार वचनबद्ध है। उ0प्र0 सरकार जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और संभावित प्रभाव को महत्व देते हुये राज्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है।

उ0प्र0 में वृहद सौर ऊर्जा संसाधन एवं गीगावाट स्केल की सौर ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने की अपार सम्भावनायें है। इस नीति के द्वारा राज्य की पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक समग्र परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना बनाई गयी है।

भारत के महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा क्षमता विस्तार कार्यक्रम के साथ संरेखित करने के लिए उ0प्र0 सरकार राज्य में रूफटॉप सोलर पीवी परियोजनाओं की स्थापना, विकेन्द्रित सौर ऊर्जा प्रणाली, अल्ट्रा–मेगा सौर ऊर्जा पार्क और यूटिलिटी स्केल परियोजना से सौर ऊर्जा का प्रविस्तारण किया जायेगा।

लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्षेत्र के उपभोक्ताओं, व्यवसायिकों और डेवलपर्स के सहयोग हेतु नये तंत्र विकसित किया जायेगा।

इस नीति के द्वारा सोलर स्टोरेज के साथ परियोजनाओं, सौर परियोजनाओं को अन्य उत्पादक स्रोतों के साथ बण्डलिंग आदि को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति तथा ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

तदनुसार, उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 घोषित एवं अंगीकृत की जाती है।

02 परिकल्पना एवं उद्देश्य

2.1 उत्तर प्रदेश में विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा की पहुँच सभी के लिए सुनिश्चित कराना।

2.2 राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, जीवाश्म ईधन पर निर्भरता को कम करना एवं पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा का 'इष्टतम ऊर्जा मिश्रण' प्राप्त करना।

2.3 सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सौर ऊर्जा के प्रविस्तारण के लिए निवेश के अवसर प्रदान करना।

2.4 अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल वृद्धि और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए मानव संसाधन का विकास।

2.5 सौर ऊर्जा तकनीकी के सम्बन्ध में आमजन में जागरूकता उत्पन्न कराना।

03 शीर्षक और संचालन अवधि

3.1 इस नीति का शीर्षक ''उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022" होगा।

3.2 नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी एवं पांच (5) वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा नई नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पूर्व हो तक लागू रहेगी।

3.3 राज्य सरकार द्वारा नीति में आवश्यक संशोधन/ समीक्षा किया जा सकता है।

04 परिभाषाएं एवं संक्षिप्तीकरण

इस नीति में संदर्भ अन्यथा नहीं होने परः

4.1 'अधिनियम' का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इनके अनुवर्ती संशोधन के अनुसार।

4.2 'कैपेक्स मोड' का अर्थ है वह मोड जिसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए बिजली उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण निवेश किया जायेगा।

4.3 'सीईए' का अर्थ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है।

4.4 'केंद्रीय एजेंसी' का अर्थ है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जैसा कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 29.01.2010 द्वारा आरईसी नियामक आयोग हेतु लिखित है।

4.5 'सीईआरसी' का अर्थ है केंद्रीय बिजली/विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 की उप–धारा (1) के तहत गठित नियामक आयोग।

4.6 'सीईआरसी आरईसी विनियम' का अर्थ है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010 सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 14.01.2010 तथा इसके अनुवर्ती संशोधन के अनुसार।

4.7 'सीओडी' का अर्थ है कामर्शियल आपरेशन तिथि, अर्थात वह तिथि जब विद्युत उत्पादन संयंत्र नियमों/प्रावधानों के अनुसार संचालित हो जाते है।

4.8 'सीपीपी' या 'कैप्टिव पावर प्लांट' का अर्थ कैप्टिव पावर प्लांट है जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 और विद्युत नियम, 2005 में परिभाषित है।

4.9 'उत्तर प्रदेश डिस्कॉम' का अर्थ है राज्य का विद्युत वितरण, जैसे कि एमवीवीएनएल, डीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीएनएल, केस्को आदि।

4.10 'वित्तीय वर्ष' का अर्थ है एक कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को प्रारम्भ अवधि और 31 मार्च का अगले कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति।

4.11 'जेनरेटिंग प्लांट सब–स्टेशन' का अर्थ सोलर पावर प्रोड्यूसर/डेवलपर द्वारा रिसीविंग सब–स्टेशन के साथ इंटरफेस करने के लिए विकसित सब–स्टेशन है।

4.12 'सरकार' और 'राज्य' का क्रमशः अर्थ है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य।

4.13 'ग्रास मीटरिंग' का अर्थ है वह पद्धति जिसके तहत उपभोक्ता के परिसर में स्थापित रूफटॉप/ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी सिस्टम द्वारा उत्पन्न पूर्णतया ऊर्जा लाइसेंसधारी के वितरण प्रणाली में वितरित की जाती है।

4.14 'आईएसटीएस' का अर्थ है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम।

4.15 'लाइसेंसधारी' का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत लाइसेंसधारी।

4.16 'एमएनआरई' का अर्थ भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

4.17 'नेट बिलिंग' अथवा नेट फीड–इन से आपूर्ति स्थल पर आपूर्ति हेतु नेट बिलिंग या नेट फिडिंग के लिए प्रयोग किया गया एकल द्वितियात्मक (Bi Directional) ऊर्जा मीटर अभिप्रेत है। जिसमें से आयातित ऊर्जा और प्रोज्यूमर (Prosumer) की ग्रिड इन्ट्रैक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक प्रणाली का मूल्यांकन दो अलग–अलग टैरिफों पर किया जाता है।

4.18 'नेट मीटरिंग' इस व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तथा बिलिंग कालावधि के दौरान अधिशेष विद्युत, यदि कोई हो, का डिस्काम द्वारा विद्युत प्रदाय के समायोजन के उपरान्त उपभोक्ता को प्रदान की जाती है।

4.19 'नोडल एजेंसी' का अर्थ है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

4.20 'व्यक्ति' का अर्थ कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत पंजीकृत व्यक्ति या फर्म/कंपनी है।

4.21 'पीपीए' का अर्थ है बिजली खरीद समझौता।

4.22 'परियोजना क्षमता' का अर्थ डिलीवरी प्वाइण्ट अधिकतम मेगावाट में 'ए.सी. क्षमता'।

4.23 'नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र' या 'आरईसी' यानी अक्षय ऊर्जा(सौर) केंद्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा सम्बन्धित निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत जारी प्रमाण पत्र (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010 और उसका संशोधन।

4.24 'यूपीईआरसी' /'आयोग' का अर्थ है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ।

4.25 'रेस्को मोड' (RESCO-Renewable Energy Supply Company) का अर्थ उस पद्धति से है जिसमें उपभोक्ता परिसर में किसी अन्य कम्पनी/व्यक्ति द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जाती है और उस रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत का क्रय उपभोक्ता द्वारा पारस्परिक रूप से तय टैरिफ पर किया जाता है।

4.26 'आरपीओ' का अर्थ है रिन्यूवेबल परचेज आब्लीगेसन।

4.27 'एसईसीआई' का अर्थ है सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया।

4.28 'सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता' का अर्थ है व्यक्ति जो सौर पार्कों और संबंधित अवस्थापना आधार भूत संस्थानों का विकास या रखरखाव करता है।

4.29 'सौर ऊर्जा उत्पादक/डेवलपर' का अर्थ है व्यक्ति जो सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए निवेश करता है।

4.30 'सौर संयंत्र/सौर ऊर्जा संयंत्र' का अर्थ है बिजली पैदा करने के लिए सौर फोटो–वोल्टाइक या केंद्रित सौर तापीय उपकरणों के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला बिजली संयंत्र या प्रणाली ।

4.31 'सोलर पीवी पावर प्लांट' का मतलब सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पावर प्लांट है जो फोटोवोल्टिक तकनीक के माध्यम से बिजली में सीधे रूपांतरण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है।

4.32 'टैरिफ' का अर्थ है बिजली के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और आपूर्ति के लिए शुल्क की अनुसूची के साथ–साथ इसके आवेदन के लिए नियम और शर्तें।

4.33 'राज्य एजेंसी' का अर्थ है उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी या उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा नामित कोई अन्य एजेंसी और इसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और प्रावधानों के तहत केंद्रीय एजेंसी के साथ पंजीकरण के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना की सिफारिश करना सीईआरसी आरईसी विनियमों में निर्दिष्ट।

4.34 'स्टार्ट–अप' की वही परिभाषा होगी जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित की गई है।

4.35 ऊपर परिभाषित नहीं किए गए शब्दों के अपने सामान्य अर्थ होंगे।

संक्षिप्तीकरण

4.36 सी आर ई रेगुलेशन 2019 – कैप्टिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी रेगुलेशन

4.37 एम एन आर ई – मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी

4.38 पी पी ए – पॉवर परचेस एग्रीमेंट

4.39 पी एम कुसुम योजना – प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना

4.40 आर एस पी वी रेगुलेशन– 2019 – रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक रेगुलेशन 2019

4.41 रेस्को – रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कंपनी

4.42 आर पी ओ – रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन

4.43 एस टी यू – स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी

4.44 यू पी पी सी एल – उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

4.45 यू पी पी टी सी एल – उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

4.46 यू पी एस एल डी सी – उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर

4.47 यू पी ई आर सी – उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन

4.48 वी जी एफ – वायबिलिटी गैप फंडिंग

05 नीति का लक्ष्य

राज्य में 2026–27 तक 22000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्त करना है :–

क्रमांक	विवरण	क्षमता
1	यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स/पार्क	14000 मेगावाट
2	सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स	
a)	सोलर रूफटॉप (आवारीय क्षेत्र)	4,500 मेगावाट
b)	सोलर रूफटॉप (गैर आवासीय संस्थान)	1500 मेगावाट
3	विकेन्द्रित सौर उत्पादन (पी0एम0 कुसुम योजना घटक सी–1 एवं सी–2)	2000 मेगावाट
4	रोजगार सृजन/कौशल विकास	संख्या–30,000

5.1 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा अपने डिस्काम के माध्यम से पीएम कुसुम सी योजना एवं सोलर रूफटॉप के अन्तर्गत उत्पादित सौर ऊर्जा क्रय की जायेगी। यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स/पार्क के द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को यूपीपीसीएल/डिस्काम द्वारा उत्तर प्रदेश विदयुत नियामक आयोग (UPERC) द्वारा निर्धारित रिन्यूवेबल परचेज आब्लीगेशन (आरपीओ) एवं निगम के वाणिज्यिक हित के दृष्टिगत यथा–आवश्यक क्रय किया जायेगा।

5.2 राज्य में कैप्टिव उपयोगार्थ एवं तृतीय पक्ष को ऊर्जा विक्रय के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

5.3 इस नीति का उद्देश्य सौर ऊर्जा को निम्न प्रकार से बढ़ावा दिया जाना है:

a) सौर पार्कों का विकास।

b) पृथक कृषि फीडरों को लघु विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराईजेशन द्वारा सौर ऊर्जीकरण को बढ़ावा दिया जाना।

c) एक्सप्रेस–वे और रेलवे ट्रैक के किनारों पर सौर प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना।

d) फ्लोटिंग/कैनाल टॉप/रिजरवायर टॉप अथवा किसी वाटर बाडी पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना।

e) भंडारण प्रणालियों के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

f) बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और यूपीईआरसी द्वारा जारी प्रासंगिक विनियमों / आदेशों के अनुसार नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग और ग्रास मीटरिंग प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली आधारित रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापना व प्रचार एवं प्रसार।

g) ऑफ–ग्रिड सोलर एप्लिकेशन जैसे सोलर वाटर पंप, होम लाइटिंग सिस्टम, वॉटर हीटर आदि को बढ़ावा देना।

h) बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तावित सौर परियोजनाओं की स्थापना से विद्युत निकासी के लिए पारेषण नेटवर्क को ग्रीन ऊर्जा कारिडोर के विकास द्वारा सुदृढ़ बनाना।

i) सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना।

06 यूपीनेडा नोडल एजेंसी

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। सौर ऊर्जा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परियोजना विकासकर्ताओं की सुगमता एवं सहायता का कार्य नोडल एजेन्सी द्वारा निम्नवत किया जायेगा:

6.1 **<u>सौर परियोजनाओं का पंजीकरण:</u>**

a) उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से समस्त प्रकार की सौर परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सिंगल विंडो के रूप में कार्य किया जायेगा।

b) डेवलपर्स/फर्म द्वारा समय–समय पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क देय होगा।

c) यूपीनेडा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा जो विकासकर्ता/फर्मों को लाईन विभागों जैसे डिस्काम, ट्रांसमिशन, राजस्व विभाग, स्टाम्प, विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, उत्पादन कंपनियों, अग्नि सुरक्षा विभाग इत्यादि के साथ समन्वय करने में सुविधा प्रदान करेगा।

d) सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रण, पीपीए निष्पादन, स्टैट्यूट्री अनुमति तथा एमएनआरई, भारत सरकार एवं अन्य केंद्रीय / राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय किया जायेगा। ऊर्जा निकासी योजना के अनुमोदन एवं "बे" के आवंटन के लिए सुगमता प्रदान किया जायेगा।

6.2 **<u>परियोजनाओं की बिडिंग:</u>**

नोडल एजेन्सी द्वारा प्रदेश में सोलर पावर परियोजनाओं की बिडिंग से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं का सम्पादन किया जायेगा।

6.3 **<u>शासकीय भूमि/स्थान के लिए सुविधा:</u>**

राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों के नियंत्रण में उपलब्ध उपयुक्त भूमि/स्थानों के आवंटन में सहायता प्रदान की जायेगी।

a) यूपीनेडा द्वारा राज्य में जिला कलेक्टर के परामर्श से कृषि के लिए अनुपयोगी और बंजर भूमि ग्राम पंचायत राजस्व भूमि का लैण्ड बैंक बनाया जायेगा।

b) ग्राम सभा/पंचायत और राजस्व भूमि के पार्सल पट्टे पर देने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहित किया जायेगा।

c) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की पीएसयू या संयुक्त उपक्रम को भूमि 30 वर्ष हेतु पट्टे पर उपलब्ध करायी जायेगी।

d) राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के उपक्रमों अथवा संयुक्त उपक्रम को रू. 1/– प्रति एकड़/प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी जायेगी। यह भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी एवं यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि सौर ऊर्जा हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नही होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

e) निजी क्षेत्र को भूमि पट्टे पर 30 वर्ष की अवधि के लिए 15000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध करायी जायेगी। यह भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी एवं यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि सौर ऊर्जा हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नही होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

6.4 नोडल एजेन्सी द्वारा आरईसी तंत्र के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के एक्रिडिशन हेतु संस्तुति की जायेगी।

6.5 <u>प्रशिक्षण</u>

यूपीनेडा द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

6.6 नीति के तहत प्राविधानित की गयी विभिन्न सब्सिडी/प्रोत्साहनों के वितरण के लिए क्रियाविधि तैयार की जायेगी। सौर ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीति विशेषज्ञों को रखा जाएगा एवं सिंगल विंडो क्लेरेंस पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रोत्साहन या प्रदेश में सौर नीति के क्रियान्वयन हेतु बजटीय प्राविधान किये जायेंगे।

07 रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स

a) राज्य सरकार द्वारा राज्य में सोलर पीवी रूफटॉप सिस्टम की स्थापना में सहयोग एवं सुगमता प्रदान की जायेगी। आवासीय, सरकारी क्षेत्र के संस्थानों एवं राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित किये जायेगें।

b) निजी आवासीय क्षेत्रों में नेट–मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित रूफटॉप सिस्टम की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, नीति अवधि में 'सौर उत्तर प्रदेश योजना' लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप स्थापना पर रुपये 15,000/– प्रति किलोवाट अधिकतम 30,000/– रुपये प्रति उपभोक्ता को राज्य अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

c) राज्य में सोलर सिटी विकसित की जायेगी जिसमें सोलर रूफटॉप और अन्य सम्बन्धित आफ ग्रिड सोलर की स्थापना पर बल दिया जायेगा।

d) डिस्काम द्वारा UPERC के RSPV REGULATION, 2019 एवं अनुवर्ती संशोधन के अनुसार स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार सोलर रूफटॉप क्षमता ग्रिड संयोजन अनुमन्य होगा।

e) प्रत्येक जनपद में सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट की स्थापना एवं संयंत्र की नेटमीटरिंग सुविधा में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति (सौर सेल) की स्थापना की जा रही है। इस सौर सेल में जनपद के डिस्काम के अधिकारी के साथ–साथ यूपीनेडा के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल होगें।

f) सोलर रूफटॉप लगाने के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

g) सोलर रूफटॉप माडल को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसे अभिनव मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग के संबंध में एमएनआरई की मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) को लागू किया जायेगा।

07

7.1 **<u>गैर आवासीय संस्थान</u>**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कैप्टिव / स्व–उपयोगार्थ निम्न संस्थानों के कार्यालय भवनों में सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टाईक संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

a) राज्य सरकार के भवन/राज्य सरकार के नियंत्राधीन कार्यालय के भवन या परिसर/भारत सरकार या अन्य प्रांतीय सरकार के राज्य में स्थित कार्यालय भवन।

b) सरकारी एवं गैर सरकारी सभी श्रेणी की शिक्षण संस्थाओं जिनका नियमन केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

c) यदि उपरोक्त श्रेणी की संस्था निजी किराये के भवन में संचालित है तो नेट मीटरिंग अनुमन्यता नहीं होगी।

d) उदाहरणतय: – राज्य के सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, सभी सार्वजनिक संस्थानों छात्रावासों, प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय एवं राज्य में स्थित भारतीय रेलवे के प्रतिष्ठान, अनुसंधान और विकास संस्थानों, हाली–डे होम, अतिथि गृह, निरीक्षण भवन आदि जो सरकार की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। सरकारी स्कूलों, कालेजों, सरकारी अस्पतालों, जेल, निजी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कालेज इत्यादि।

e) इन संस्थानों में थर्ड पार्टी (रेस्को मोड) (**Renewable Energy Supply Company**) के माध्यम से रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता एवं थर्ड पार्टी (रेस्को) के मध्य पावर परचेज़ अनुबन्ध (पीपीए) तथा उपभोक्ता एवं विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य नेट मीटरिंग इण्टर कनेक्शन अनुबन्ध किया जायेगा।

f) संस्थाओं द्वारा स्वयं अथवा यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड में रूफटॉप सोलर सयंत्रों की स्थापना करा सकते हैं। यूपीनेडा को संयंत्र मूल्य के तीन प्रतिशत एवं एप्लीकेबल जी.एस.टी./अन्य टैक्स परामर्श शुल्क देय होगा।

g) संयंत्रों की स्थापना हेतु राजस्व माडल विकसित किया जायेगा जिसके तहत नोडल एजेंसी यूपीनेडा द्वारा विभिन्न विभागों सरकारी विभागों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना की मांग संग्रहित करने में सक्रिय भूमिका निभाई जायेगी। यूपीनेडा द्वारा माडल अनुबन्ध एवं स्टैण्डर्ड पीपीए तैयार किया

जायेगा तथा टैरिफ निर्धारण एवं रेस्को के चयन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग करायी जायेगी।

h) यूपीईआरसी आरएसपीवी विनियम–2019 एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को नेट बिलिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिस्काम द्वारा ऊर्जा क्रय का टैरिफ यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

7.2 <u>आवासीय क्षेत्र में सोलर रूफटॉप</u>

a) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय भवनों में उपयुक्त क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

b) सोलर सिटी को एक–एक ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ पांच साल के अंत में पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग में न्यूनतम 10% की कमी अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। प्रत्येक सोलर सिटी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें सोलर रूफटॉप, सोलर हाई मास्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ट्री, वाटर पंपिंग स्टेशनों, एसटीपी का और शहर के अन्य लोड सेंटर का सोलराइजेशन सम्मिलित होगा।

c) सोलर सिटी में नीति की संचालन अवधि में तेरह लाख पचास हजार आवासीय घरों को सोलर रूफटॉप से आच्छादित किया जायेगा।

d) सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत अयोध्या शहर को माडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके सफलता के आंकलन के पश्चात प्रदेश के 16 नगर निगम और नोएडा सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

e) 16 नगर निगम और नोएडा सिटी को नीति के प्रारंभिक वर्ष में एम.एन.आर.ई. की परिभाषा के अनुरूप सोलर सिटी के रूप में विकसित होने के लिए वर्ष–2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार पचास रूपये प्रति व्यक्ति की दर से फण्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

f) इस फण्ड का व्यय नगर निगम द्वारा शहर में सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर किया जायेगा जिससे उत्पादित सौर ऊर्जा से पारंपरिक ऊर्जा की मांग में दस प्रतिशत की कमी की जा सके।

g) नीति के संचालन अवधि के तीन वर्ष में जिन नगर निगम द्वारा सोलर सिटी की परिभाषा के अनुरूप शहर की पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग की न्यूनतम 10 प्रतिशत ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से प्राप्त की जाएगी, को वर्ष–2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार पचास रूपये प्रति व्यक्ति की दर से प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।

h) इस प्रोत्साहन धनराशि का व्यय सोलर सिटी के रूप में विकसित नगर निगम द्वारा और सोलर संयंत्रों की स्थापना पर ही किया जायेगा।

i) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरएसपीवी रेग्यूलेशन के अनुसार आवासीय उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग की सुविधा दी जाएगी।

j) आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना की समय अवधि इस प्रकार से होगी–

क्रमांक	गतिविधि	दायित्व	अधिकतम समय अवधि
1	आवेदन जमा करना	उपभोक्ता	–
2	आवेदन की पावती	डिस्काम / यूपीनेडा	1 दिन
3	स्थल सत्यापन और तकनीकी व्यवहार्यता	डिस्काम	7 दिन
4	रूफटाप सोलर सिस्टम की स्थापना	वेंडर	90 दिन
5	सौर टेस्टिंग और नेटमीटरिंग	डिस्काम	मीटर जमा करने से 7 दिन के भीतर
6	नेट मीटरिंग समझौते का निष्पादन	डिस्काम	ड्राफ्ट अनुबंध जमा करने से 3 दिन

क्रमांक	गतिविधि	दायित्व	अधिकतम समय अवधि
7	रूफटाप सिस्टम का कमीशनिंग/ कनेक्शन	डिस्काम	नेट मीटरिंग अनुबन्ध के 3 दिन पश्चात।
8	संयुक्त कमीशनिंग रिपोर्ट जारी करना	डिस्काम, वेन्डर और लाभार्थी	कमीशनिंग के 1 दिन पश्चात।
9	उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करना	एमएनआरई	जेसीआर के 30 दिन पश्चात।
10	उपभोक्ताओं को राज्य वित्तीय सहायता जारी करना	यूपीनेडा	जेसीआर के 15 दिन पश्चात।

7.3 **प्रोत्साहन–**

नीति की संचालन अवधि के दौरान पात्र संस्थाओं को ग्रिड से संयोजित रूफटॉप सोलर पीवी प्लांटों की स्थापना हेतु यथा अनुमन्य निम्नवत प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे–

a) निजी आवासीय क्षेत्रों में नेट–मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार से देय केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रूपये 15000 प्रति किलोवाट अधिकतम 30000 रूपये प्रति उपभोक्ता अनुदान उपलब्ध होगा। उक्त अनुदान का भुगतान लाभार्थी को रूफटॉप प्रणाली के संयंत्र स्थापना एवं कमीशनिंग तथा समस्त अभिलेखों को राज्य नोडल एजेन्सी यूपीनेडा को प्रस्तुत करने के उपरान्त लाभार्थी को प्रतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा।

b) यह अनुदान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी, जिसका अंतरण राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य अनुदान का डायरेक्ट लाभार्थी ट्रांसफर हेतु (डीबीटी) एवं वेंडर के पंजीकरण हेतु यूपीनेडा के पोर्टल को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

c) भवन उपविधि में उपलब्ध प्राविधान के अनुसार रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु अनुज्ञा से छूट प्राप्त है तथा रूपटॉप सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छत पर आवश्यक संरचनाएँ जो 4.5 मीटर से अधिक ऊँचे न हो, को भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

d) बहुमंजिला भवनों, आवासीय परिसर, वाणिज्यिक भवनों आदि के प्रकरण में,

सोलर संयोजित रूफटॉप सिस्टम की स्थापना कॉमन फैसिलिटी क्षेत्र हेतु की जा सकेगी। यह प्रणाली सोसायटी द्वारा धारित कामन मीटर कनेक्सन, बल्क कनेक्सन धारी तथा कामन फेसिलिटी केन्द्र के कनेक्सन हेतु होगी और किसी भी प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परिसर में आवास कर रहे निवासियों के न्यायोचित अधिकार को बाधित नहीं किया जा रहा है।

e) 10 कि0वा0 क्षमता के ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर प्लाण्ट राज्य विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण से मुक्त होगें।

f) यूपीईआरसी आरएसपीवी 2019 विनियमों एवं समय–समय पर संशोधित के अनुसार अधिकतम 2 मेगावाट तक क्षमता के सोलर रूफटॉप की स्थापना अनुमन्य है।

7.4 **<u>मीटरिंग व्यवस्था, विद्युत निकासी वोल्टेज तथा वितरण प्रणाली के साथ संयोजनः</u>**

ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की मीटरिंग व्यवस्था, विद्युत निकासी वोल्टेज एवं विद्युत वितरण कम्पनी के नेटवर्क से ग्रिड संयोजन की प्रक्रिया यूपीईआरसी आरएसपीवी विनियम 2019 समय–समय पर संशोधन के अनुरूप होगी।

08 ऑफ-ग्रिड सौर एप्लीकेशन

8.1 राज्य में घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए एवं विभिन्न विद्युत और तापीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आफ–ग्रिड सौर अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) एवं हाईब्रिड सिस्टम की स्थापना का बढ़ावा एवं प्रोत्साहन किया जायेगा।

8.2 राज्य में आंगनबाडी केंद्रों, स्कूलों आदि में आफ–ग्रिड सोलर सिस्टम जैसे सोलर पावर प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर पीवी पंप की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

8.3 प्रदेश सरकार द्वारा सोनभद्र, बस्ती, मिर्जापुर, बहराइच आदि जिलों के दूरदराज, सुदूर (Remote) अविद्युतिकृत ग्राम/मजरों के आवासों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए स्टैंड अलोन सोलर पावर पैक सिस्टम की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा यह स्टैंड अलोन सोलर पावर पैक सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देश एवं मानकानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

8.4 अविद्युतिकृत क्षेत्र का चयन निम्न वरीयता के अनुसार किया जायेगा :–

I- नक्सल प्रभावित क्षेत्र

II- वनटांगिया क्षेत्र

III- ट्राइबल/मुसहर क्षेत्र

IV- अन्य ग्राम/मजरे

8.5 सम्बंधित जनपद के अविद्युतिकृत ग्राम और मजरों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके निम्न सदस्य होंगे :–

1–	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2–	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
3–	जिला पंचायती राज्य अधिकारी (डीपीआरओ)	–	सदस्य
4–	अधिशाषी अभियंता डिस्कॉम ग्रामीण क्षेत्र	–	सदस्य
5–	परियोजना अधिकारी यूपीनेडा	–	सदस्य सचिव

6– जिला वन अधिकारी (वन क्षेत्र सम्बंधित प्रकरण होने पर सहयुक्त किया जा सकता है।)

8.6 जिला स्तरीय समिति द्वारा बजट की उपलब्धता के अनुसार अन्त्योदय कार्ड धारक तदोपरान्त बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) कार्ड धारकों के पात्र लाभार्थी का चयन किया जायेगा।

8.7 उपलब्ध कराये गए सोलर पावर पैक सिस्टम में पांच वर्ष पश्चात बैट्री बदलने का भी प्राविधान किया जायेगा।

8.8 राज्य के कृषि विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश मंडी विकास परिषद् के सहयोग से कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सोलर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

09 फीडर स्तर पर सौर ऊर्जा से उर्जीकरण

9.1 **विद्युत वितरण लाइसेंसी को सोलर पावर विक्रय हेतु सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना :**

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा लक्षित रिन्यूवेबल पर्चेज आब्लीगेशन (आरपीओ) की पूर्ति हेतु यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत क्रय की जायेगी। सोलर पावर परियोजनाओं का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा।

9.1.1 **पी0एम0 कुसुम – सी – 1 :**

राज्य में एमएनआरई की पी0 एम0 कुसुम योजना घटक (सी–1) के अन्तर्गत स्थापित निजी आनग्रिड पम्प का सोलराईजेशन किया जायेगा।

केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों के लिए 70 % सब्सिडी दी जायेगी। अन्य कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 60 % सब्सिडी दी जाएगी।

9.1.2 **पी0एम0 कुसुम – सी – 2**

राज्य में एमएनआरई की पी0 एम0 कुसुम योजना घटक (सी–2) के तहत जारी प्रावधानों /दिशा निर्देशों के अनुसार पृथक कृषि फीडरों के सौरकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 50 लाख प्रति मेगावाट की दर से वाईबिलिटी गैप फण्ड (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

एम0एन0आर0ई0/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना आवंटन प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (वीजीएफ/टैरिफ आधारित) के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी पी0एम0 कुसुम योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से ऋण लिया जा सकेगा।

9.1.3 **5 मेगावाट और 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की यूटिलिटी ग्रिड पावर परियोजनाएं:**

इन परियोजनाओं की न्यूनतम स्थापित क्षमता एक स्थल पर 05 मेगावाट होगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक के माध्यम से किया जाएगा।

9.1.4 **प्रोत्साहन:**

राज्य के बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापना हेतु प्रस्तावित 5 मेगावाट एवं अधिक क्षमता की स्टैंडअलोन सौर पावर परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन हेतु अधिकतम पारेषण लाइन की निर्माण लागत का व्यय राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार वहन किया जायेगा:

>= 05 से 10 मेगावाट क्षमता के लिए	– 10 किलोमीटर।
> 10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए	– 15 किलोमीटर।
> 50 मेगावाट क्षमता के लिए	– 20 किलोमीटर।

- सौर परियोजना विकासकर्ता द्वारा पारेषण लाइन का निर्माण अपने स्तर से अथवा यूपीपीटीसीएल के माध्यम से डिपाजिट आधार पर कराया जा सकता है। यह अनुदान प्रोत्साहन राशि परियोजना विकासकर्ता को नोडल एजेन्सी द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में पारेषण लाइन निर्माण और परियोजना कमीशनिंग उपरान्त सीओडी प्राप्त होने पर अवमुक्त की जायेगी।
- सौर परियोजना विकासकर्ता को प्रतिपूर्ति के रूप में देय अनुदान धनराशि का आंकलन परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्माण संबंधित पारेषण कार्य एवं उक्त हेतु किये गये भुगतान का उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/ वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर किया जायेगा।

- परियोजना विकासकर्ता द्वारा ग्रिड सुदृढ़ीकरण कार्य, यदि कोई हो, एवं पारेषण लाइन की अवशेष लागत, बे और सबस्टेशन के निर्माण का वहन किया जायेगा।
- अवशेष शुल्क, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन के अनुसार होगा।
- चयनित परियोजना विकासकर्ता द्वारा सौर परियोजना की स्थापना हेतु स्थल चयन किया जायेगा परन्तु सोलर पावर परियोजना का निर्माण स्थल का अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा ग्रिड कनेक्टिविटी हेतु सूचित सबस्टेशन के स्थल अनुसार होगा।
- परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित सौर परियोजना निर्माण स्थल हेतु अपने एआरआर में नियोजित सबस्टेशनों एवं ऐसे सबस्टेशन जिनका अपग्रेडेशन प्रस्तावित हो, के दृष्टिगत यूपीपीटीसीएल द्वारा ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्यता पर विचार किया जायेगा।
- परियोजना विकासकर्ता द्वारा ग्रिड कनेक्टिविटी के आवंटन के पश्चात दो वर्ष के अंतराल में सौर परियोजना की स्थापना और कमीशनिंग नहीं किये जाने की दशा में यूपीपीटीसीएल किसी अन्य को उक्त ग्रिड कनेक्टिविटी का आवंटन के लिए स्वतंत्र होगा।
- कम क्षमता की परियोजनाओं की एक साथ पावर पूलिंग की व्यवस्था अनुमन्य होगी।

9.2 <u>तृतीय पक्ष को सोलर पावर विक्रय अथवा कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजना की स्थापना:</u>

परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजनाओं की स्थापना तृतीय पक्ष को सोलर पावर विक्रय हेतु 100 प्रतिशत कैप्टिव उपयोगार्थ अथवा आंशिक कैप्टिव उपयोगार्थ अथवा ग्रुप कैप्टिव उपयोगार्थ और आंशिक उत्पादन तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु की जा सकती है। एक मेगावाट क्षमता से अधिक के ओपेन एक्सेस के तहत स्थापित परियोजनाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे :–

a) सौर ऊर्जा की विक्रय पर मीटरिंग, एसटीयू/वितरण अनुज्ञप्तिधारी सबस्टेशन के स्तर पर की जायेगी ।

b) सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता को बाह्य पारेषण नेटवर्क और पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करने की लागत यदि कोई हो वहन की जानी होगी।

c) नोडल एजेंसियों में पंजीकरण के 90 दिनों के अंदर सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एसटीयू से सुगमतापूर्वक कनेक्टिविटी प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा जो तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन होगा ।

9.2.1 <u>उपलब्ध छूट (Exemptions)</u>

a) राज्यांतरिक सौर पावर का तृतीय पक्ष को विक्रय पर अथवा कैप्टिव उपयोग पर व्हीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट होगी। यह छूट तकनीकी फिजीबिलिटी एवं उ0प्र0 नियामक आयोग रेग्युलेसन्श समय समय पर संशोधित के अनुरूप लागू होगी। वितरण/पारेषण लाईन हानि एवं क्रास सब्सिडी पर चार्ज, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग रेग्यूलेशन समय समय पर संशोधित के अनुरूप लागू होगा।

b) सौर पावर के क्रय पर राज्यान्तरित ट्रांसमिसन तंत्र के लिए सब्सिडी सरचार्ज एवं व्हीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100% छूट होगी।

9.3 <u>फ्लोटिंग/जलाशय/कैनाल टाप अथवा किसी भी वाटर बाडी पर सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना:</u>

प्रदेश में नहरों/जलाशय अथवा किसी भी वाटर बाडी पर फ्लोटिंग वृहद सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। परियोजनाओं की स्थापना डिस्काम को विद्युत विक्रय हेतु अथवा तृतीय पक्ष का ऊर्जा विक्रय हेतु की जायेगी। डिस्काम को ऊर्जा विक्रय हेतु सोलर परियोजनाओं का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार की दिशा–निर्देशों के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा।

9.4 <u>रेलवे ट्रैक, एक्सप्रेस–वे और सडकों के किनारे सोलर पीवी इंस्टालेशन:</u>

उत्तर प्रदेश में छः एक्सप्रेस–वे हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। एक्सप्रेस–वे के किनारे सौर इंस्टालेशन की कुल सम्भावित लक्षित क्षमता अनुमानित 500 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित एक्सप्रेस–वे के किनारे सौर इंस्टालेशन की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय के सहयोग से रेल ट्रैक्स के किनारे सौर पीवी की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

9.5 <u>ऊर्जा निकासी वोल्टेज:</u>

यूटिलिटी स्केल पावर प्लांट्स से उत्पादित ऊर्जा की निकासी वोल्टेज उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड 2007 समय समय पर संशोधित के अनुसार होगी।

10 सौर पार्को का विकास

a) सोलर पार्क एक कन्संट्रेटेड क्षेत्र है जिसमे एक से अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु अवस्थापना व्यवस्था एवं विद्युत व्यवस्था का प्रबंधन कराया जाता है। सोलर पावर पार्क डेवलपर द्वारा विद्युत निकासी, जल आपूर्ति की व्यवस्था, आंतरिक सड़कों और अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

b) राज्य सरकार द्वारा राज्य बंजर भूमि का उपयोग विद्युत उत्पादन के उददेश्य से एकीकृत सौर पार्को की स्थापना को बढावा दिया जायेगा जो विकास को बढ़ावा देगी। सौर पार्को के विकास में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किये जा रहे सोलर पार्क में परियोजना विकासकर्ताओं को सोलर परियोजनाओं में ''प्लग एंड प्ले'' **(Plug and Play)** विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा।

c) राज्य के बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं से विद्युत निकासी की सुविधा को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु ग्रीन ऊर्जा कॉरीडोर की स्थापना की जा रही है। ग्रीन ऊर्जा कॉरीडोर की क्षमता वृद्धि राज्य में प्राप्त निजी निवेश के अनुसार की जायेगी।

10.1 **निजी क्षेत्र सोलर पार्क :**

राज्य में निजी कम्पनियों द्वारा सोलर पार्को के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी सोलर पावर परियोजना विकासकर्ता द्वारा विद्युत निकासी तंत्र, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति प्रणाली और अन्य अवस्थापना व्यवस्था की जायेगी। उ0प्र0 सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहन निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना हेतु उपलब्ध कराया जायेगा :–

i) तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन निकटतम ग्रिड स्टेशन से कनेक्टिविटी इस शर्त पर कि एसपीपीडी द्वारा बाह्रय पारेषण नेटवर्क एवं पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की लागत यदि कोई हो वहन की जायेगी।

ii) न्यूनतम 1MW स्थापित क्षमता से ओपन एक्सेस के अन्तर्गत तृतीय पक्ष को 100% ऊर्जा विक्रय की अनुमन्यता।

iii) इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पार्क स्थापना हेतु राजस्व भूमि 30 वर्ष के पटटे पर 15000/– रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध करायी जायेगी। यह भूमि हस्तान्तरित नहीं का जा सकेगी एवं यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि सौर ऊर्जा हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

iv) एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क योजना के तहत सोलर पावर पार्क डेवलपर का दर्जा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

10.2 **संयुक्त उपक्रम कंपनियों (जेवीसी) द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के सोलर पार्क:**

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र सोलर पार्क स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के साथ गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा अल्ट्रा मेगा रिन्युवेबल एनर्जी सोलर पार्क की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य मे सोलर पार्क के विकास हेतु लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एलएसपीडीसीएल), बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) और टुस्को नामक तीन संयुक्त उपक्रम गठित हैं जो क्रमशः यूपीनेडा और सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया, (एसईसीआई), एनएचपीसी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहन सोलर पार्क की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे :

i) सोलर पार्क की स्थापना के लिए 30 वर्ष अवधि हेतु पटटा (लीज) अथवा उपयोग करने के अधिकार **(Right to use)** के आधार पर राजस्व भूमि रु. 1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज दर से उपलब्ध होगी यह भूमि हस्तान्तरित नहीं का जा सकेगी एवं यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि सौर ऊर्जा हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नही होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

ii) तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन निकटतम ग्रिड सबस्टेशन से कनेक्टिविटी इस शर्त पर कि एसपीपीडी द्वारा बाहय पारेषण नेटवर्क एवं पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की लागत यदि कोई हो तो वहन की जायेगी।

iii) सोलर पार्क में तृतीय पक्ष को विक्रय अथवा कैप्टिव उपयोग किये जाने पर एसपीपीडी द्वारा बाह्य ट्रांसमिशन नेटवर्क और पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने की लागत वहन की जायेगी।

iv) पारेषण की लागत अनुकूलन (Optimization) हेतु एसटीयू (State Transmission Utility) उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 के परामर्श से सौर पार्क के स्थापना स्थल का निर्धारण किया जायेगा। सोलर पार्क के अन्दर स्थल/ सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई), भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के द्वारा किया जायेगा।

11 स्टोरेज सिस्टम के साथ सौर ऊर्जा परियोजना

11.1 सौर ऊर्जा दिन में एक विशेष अवधि के लिये उपलब्ध होने के कारण सौर परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा में परिवर्तनशीलता होती है, इसको ग्रिड में फीड किये जाने से उत्पन्न अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से राज्य में सौर परियोजनाओं का बैटरी स्टोरेज, पम्पड हाईड्रो स्टोरेज या किसी अन्य ग्रिड इन्टरएक्टिव स्टोरेज सिस्टम के साथ बढ़ावा दिया जायेगा।

11.2 05 मेगावाट क्षमता अथवा उससे अधिक क्षमता के चार घंटे के बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजना एवं स्टैण्ड अलोन बैट्री स्टोरेज सिस्टम (केवल सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत) जिनसे उत्पादित ऊर्जा का विक्रय विद्युत वितरण निगम/ यूपीपीसीएल को किया जाता है पर रू0 2.5 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से पूँजीगत उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

11.3 राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत व्यवस्थानुसार पम्प स्टोरेज प्लाण्टस (PsP's) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

12 भूमि का क्रय और आवंटन

उ0प्र0 में सौर परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि में सुगमतापूर्वक भूमि की उपलब्धता एक बड़ी बाध्यता है। भूमि की उपलब्धता हेतु प्रक्रियात्मक विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में नोडल एजेन्सी द्वारा विशेषकर बुदेलखण्ड क्षेत्र में भूमि बैंक तैयार किया जायेगा। परियोजना विकासकर्ता को अधिकतम 05 एकड़ प्रति मेगावाट की दर से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

12.1 **<u>सरकारी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं:</u>**

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के साथ गठित संयुक्त उपक्रम कंपनी (जेवीसी) द्वारा स्थापित सोलर पार्क/सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ग्राम सभा/पंचायत या सरकारी राजस्व भूमि का आवंटन उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 में उपलब्ध प्राविधानानुसार की जायेगी।

a) भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर अथवा उपयोग के अधिकार **(Right to Use)** के आधार पर सोलर पार्क के विकास के लिए रू.1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध करायी जायेगी। यह भूमि हस्तान्तरित नहीं का जा सकेगी एवं यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि सौर ऊर्जा हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नही होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

b) निजी क्षेत्र के सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को ग्राम सभा/राजस्व भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर रू.15000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज दर पर उपलब्ध होगी। यह भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकेगी। सोलर पार्क की स्थापना/विकास के लिए उपलब्ध करायी जा रही ग्राम सभा/राजस्व भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग उ0प्र0 सरकार का होगा। सौर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा लीज पर प्राप्त भूमि को समान दर पर सोलर पार्क के अन्दर सौर परियोजना स्थापना हेतु सौर परियोजना विकासकर्ता को सब–लीज अथवा उपयोग के अधिकार पर देने की अनुमन्यता होगी।

12.2 <u>निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना:</u>

a) राज्य में निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना/सौर फार्म की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। परियोजना विकासकर्ता को निजी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना/सौर फार्म स्थापित करने की अनुमन्यता होगी। प्रदेश सरकार द्वारा सौर पावर पार्क परियोजनाओं की स्थापना हेतु परियोजना विकासकर्ता द्वारा क्रय भूमि का कृषि से गैर–कृषि हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन की डीम्ड अनुमति होगी। यह अनुमति राज्य नोडल एजेन्सी में पंजीकरण/संस्तुति पर उपलब्ध होगी।

b) सौर परियोजना विकासकर्ताओं को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने से छूट होगी। राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना अनुमोदनोपरान्त अधिकतम सीमा में भूमि क्रय करने की अनुमति मान्य होगी।

c) सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी भूमि को 30 वर्ष की समयावधि के लिए पट्टे पर दिये जाने की अनुमन्यता होगी। इस भूमि का स्वामित्व शेयरधारक के पास रहेगा और अहस्तान्तरणीय होगा। जिला कलेक्टर सौर परियोजना विकासकर्ता को भूस्वामियों से भूमि पट्टे पर लेने की सुगम व्यवस्था करेंगे।

12.3 <u>स्टॉम्प शुल्क:</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा स्रोतो की इकाईयों की स्थापना हेतु क्रय अथवा लीज पर प्राप्त भूमि भी प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट होगी।

13 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन और सुविधाएं

13.1 सरकारी भूमि एवं निजी भूमि को तीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त करने की सुविधा।

प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30 वर्ष की अवधि के पट्टे पर सरकारी भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

a) सार्वजनिक क्षेत्र के सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को भूमि पट्टे पर अथवा उपयोग के अधिकार के आधार पर रू0 1/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। यह भूमि अहस्तांतरणीय होगी।

b) निजी क्षेत्र के सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को भूमि पट्टे पर रू0 15000/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर तीस वर्ष की अवधि हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध होगी।

c) राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से निजी भूमि को पट्टे पर देने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का गैर–कृषि रूपांतरण तथा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने से छूट होगी।

13.2 **स्टॉम्प शुल्क:**

राज्य सौर ऊर्जा संयंत्र/सौर पार्क की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर स्टॉम्प शुल्क पर शत–प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

13.3 **पूँजीगत उपादान:**

05 मेगावाट क्षमता अथवा उससे अधिक क्षमता के चार घंटे के बैट्री स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजना एवं स्टैण्ड अलोन बैट्री स्टोरेज सिस्टम (केवल सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत) जिनसे उत्पादित ऊर्जा का विक्रय विद्युत वितरण निगम/यूपीपीसीएल को किया जाता है पर रू0 2.5 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से पूँजीगत उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

13.4 **इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी:**

राज्य में बुदेलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापना हेतु 05 मेगावाट अथवा उससे अधिक क्षमता की स्टैण्ड अलोन सौर पावर परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन हेतु अधिकतम पारेषण लाईन की निमार्ण लागत का व्यय राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार वहन किया जायेगा :–

- 05 से 10 मेगावाट क्षमता के लिए –10 किलोमीटर

- >10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए –15 किलोमीटर
- >50 मेगावाट क्षमता के लिए – 20 किलोमीटर।

13.5 **ऊर्जा बैंकिंग:**
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो यूपीईआरसी, विद्युत वितरण कम्पनी के अधीन उ0प्र0 कैप्टिव रिन्यूवेबल एनर्जी (सीआरई) रेग्यूलेशन–2019 तथा इनके अनुवर्ती संशोधन के अनुसार 100 प्रतिशत तक होगी। ऊर्जा बैंकिंग की सुविधा 25 वर्ष अथवा परियोजना के उपयोगी समयकाल जो भी कम हो के लिए होगी।

13.6 **विद्युत शुल्क**
राज्य में स्थापित समस्त सौर परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का विक्रय जो विद्युत वितरण कम्पनी अथवा तृतीय पक्ष अथवा कैप्टिव उपयोगार्थ किया जायेगा 10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त होगी।

13.7 **भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन**
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार द्वारा समय समय पर सौर पावर परियोजनाओं पर उपलब्ध कराये जा रहे प्रोत्साहन भी परियोजना विकासकर्ताओं को अनुमन्य होगें।

13.8 समस्त सौर विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में छूट होगी।

13.9 ग्रिड संयोजित सोलर पीवी परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियंत्रण नियम के तहत स्थापना सौर संचालन की सहमति/एनओसी प्राप्त करने में छूट होगी।

13.10 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली स्टैंडअलोन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं और सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर्स के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का सारांश।

13.10.1 **5MW से अधिक क्षमता वाले स्टैंड अलोन सोलर पावर परियोजनाओं को उपलब्ध सुविधाएं:**

क्रमांक	सुविधा	निजी सौर परियोजना डेवलपर
1	निकटतम ग्रिड सबस्टेशन से कनेक्टिविटी (तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन)	उपलब्ध
2	ओपन एक्सेस के अन्तर्गत न्यूनतम एक मेगावाट क्षमता की परियोजना से तृतीय पक्ष को विद्युत विक्रय।	100%

3	यूपीपीसीएल द्वारा बिजली क्रय	आरपीओ दायित्व के अनुसार
4	पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ट्रांसमिशन लाईन निर्माण व्यय पर अनुदान। 05MW से 10MW– 10 KM >10MW से 50MW– 15KM >50MW – 20KM	इस शर्त पर कि यूपीपीसीएल के साथ परियोजना से ऊर्जा क्रय हेतु ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का निष्पादन किया गया हो।
5	व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क (इंट्रा स्टेट)	100% छूट (यूपीपीसीएल को ऊर्जा विक्रय), 50% छूट (कैप्टिव एवं तृतीय पक्ष)
6	व्हीलिंग, ट्रांसमिशन शुल्क (अन्तर्राज्यीय विक्रय) एवं क्रास सब्सिडी सरचार्ज।	राज्यान्तरित ट्रांसमिशन तंत्र पर 100 प्रतिशत छूट।
7	भूमि क्रय/भूमि पट्टे पर स्टाम्प शुल्क	100% छूट
8	विद्युत शुल्क	10 वर्ष के लिए 100% छूट
9	राजस्व संहिता–2006 की धारा–80 के तहत सौर परियोजना स्थापना हेतु कृषक भूमि का गैर कृषि उपयोगार्थ की घोषणा।	डीम्ड
10	राजस्व संहिता–2006 मे उपलब्ध प्राविधानानुसार निर्धारित्त सीमा से अधिक भूमि क्रय करने की अनुमति।	डीम्ड
11	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परियोजनाओं को स्थापित करने और संचालित करने की सहमति	डीम्ड
12	बैट्री स्टोरेज के साथ सौर परियोजनाओं के स्टोरेज सिस्टम पर अनुदान।	05 मेगावाट क्षमता अथवा उससे अधिक क्षमता के चार घंटे बैट्री स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजना एवं स्टैण्ड अलोन बैट्री स्टोरेज सिस्टम (केवल सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत) जिनसे उत्पादित ऊर्जा का विक्रय विद्युत वितरण निगम/यूपीपीसीएल को किया जाता है पर रू0 2.5 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से पूँजीगत उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

13.10.2 सोलर पावर पार्क डेवलपर्स को दी जाने वाली सुविधाएं

क्रमांक	सुविधा	सार्वजनिक क्षेत्र के डेवलपर	निजी क्षेत्र के डेवलपर
1	निकटतम ग्रिड सबस्टेशन से कनेक्टिविटी (तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन)	अनुमन्य	अनुमन्य
2	ओपन एक्सेस के अन्तर्गत न्यूनतम एक मेगावाट क्षमता की परियोजना से तृतीय पक्ष को विद्युत विक्रय।	100% अनुमन्यता	100% अनुमन्यता
3	यूपीपीसीएल द्वारा ऊर्जा क्रय	आरपीओ के एवं निगम के वाणिज्यिक हित के अनुसार	आरपीओ के एवं निगम के वाणिज्यिक हित के अनुसार
4	भूमि क्रय/भूमि पट्टे पर स्टॉम्प शुल्क	100% छूट	100% छूट
5	विद्युत शुल्क	10 वर्ष के लिए 100% छूट	10 वर्ष के लिए 100% छूट
6	राजस्व संहिता–2006 की धारा–80 के तहत कृषिक भूमि का गैर कृषि उपयोगार्थ की घोषणा।	डीम्ड	डीम्ड
7	राजस्व संहिता–2006 में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार निर्धारित सीमा 12.5 एकड़ भूमि से अधिक भूमि क्रय की अनुमति।	डीम्ड	डीम्ड
8	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परियोजनाओं को स्थापित करने और संचालित करने की सहमति	डीम्ड	डीम्ड

13.10.3 5MW से कम क्षमता वाले स्टैंड अलोन सोलर पावर परियोजनाओं को उपलब्ध सुविधाएं

क्रमांक	सुविधा	निजी सौर परियोजना डेवलपर (रेस्को)
1	निकटतम ग्रिड सबस्टेशन से कनेक्टिविटी	उपलब्ध
2	एमएनआरई की पी० एम० कुसुम योजना घटक (सी–1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मूसहर जाति कृषकों के यहाँ स्थापित निजी आनग्रिड पम्प के सोलराईजेशन पर केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।	अन्य कृषकों के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
3	पी०एम० कुसुम योजना घटक सी–2 में पृथक कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए स्थापित ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं पर प्रदेश सरकार द्वारा सौर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना पर अधिकतम रू. पचास लाख प्रति मेगावाट की दर से वाईबिलिटी गैप फण्ड (वीजीएफ) । यह वीजीएफ, केंद्र सरकार द्वारा पृथक कृषि फीडर के सोलराईजेशन के लिए उपलब्ध कराये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त होगा।	यूपीपीसीएल द्वारा बिजली क्रय इस शर्त पर कि यूपीपीसीएल के साथ परियोजना से ऊर्जा क्रय करने हेतु ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का निष्पादन किया गया हो।
4	व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क (इंट्रा स्टेट)	100% छूट (यूपीपीसीएल को ऊर्जा विक्रय)
5	भूमि क्रय/भूमि पट्टे पर स्टाम्प शुल्क	100% छूट
6	विद्युत शुल्क	10 वर्ष के लिए 100% छूट

7	राजस्व संहिता–2006 की धारा–80 के तहत कृषक भूमि का गैर कृषि उपयोगार्थ की घोषणा।	डीम्ड
8	राजस्व संहिता–2006 मे उपलब्ध प्राविधानानुसार निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय करने की अनुमति।	डीम्ड
9	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परियोजनाओं को स्थापित करने और संचालित करने की सहमति	डीम्ड
10	30 वर्ष की अवधि हेतु रु. 15000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर सरकारी भूमि।	पट्टे पर उपलब्ध।

13.11 सब्सिडी उन्हीं संयंत्रों/परियोजनाओं में अनुमन्य होगी जिनका क्रय/निर्माण इस नीति के प्रख्यापन की तिथि के उपरान्त किया गया हो।

13.12 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन मदों में सब्सिडी दी जानी है, उनके लाभार्थियों को राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अनतर्गत उन्हीं मदों में सब्सिडी प्राप्त न हो रही हो।

14 अनुमोदन क्रियाविधि

14.1 **राज्य उच्च स्तरीय समिति:**

I) इस नीति के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन में उपलब्ध समस्याओं एवं समय–समय पर उत्पन्न अंतर्विभागीय प्रकरणों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

II) इस समिति द्वारा सौर ऊर्जा नीति के तहत आवंटित 5 मेगावाट एवं 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

III) नीति के क्रियान्वयन में कोई समस्या उत्पन्न होने पर, समिति द्वारा मा0 विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री को नीति में संशोधन हेतु संस्तुति की जाएगी।

IV) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
अध्यक्ष, यूपीपीसीएल	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल	सदस्य
निदेशक, यूपीनेडा	सदस्य सचिव

V) राज्य उच्च स्तरीय समिति द्वारा नीति के अनुश्रवण हेतु यथासंभव त्रैमासिक बैठक की जाएगी परन्तु परियोजनाओं के अनुमोदन आवश्यकता होने पर बैठक तात्कालिक भी की जा सकती है।

डिपार्टमेंट लेवल उच्चस्तरीय समिति (डी.एल.ई.सी.)

I) इस समिति द्वारा सौर ऊर्जा नीति के तहत आवंटित 0.5 से 05 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

II) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	–अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	–सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	–सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आवास द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	–सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	–सदस्य
प्रबंध निदेशक, यूपीपीटीसीएल	–सदस्य
प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल	–सदस्य
प्रबंध निदेशक, संबंधित डिस्कॉम	–सदस्य
निदेशक, यूपीनेडा	–सदस्य सचिव
विषय विशेषज्ञ या प्रशासनिक कार्य हेतु किसी व्यक्ति/ अधिकारी को अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयुक्त किया जा सकता है	–सदस्य

14.3 **जिला स्तरीय समिति:**

I) इस नीति के क्रियान्वयन में जनपद स्तर पर समस्याओं के निदान हेतु एवं नीति के प्रचार प्रसार हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

II) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

1–	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2–	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
3–	अधिशाषी अभियंता डिस्कॉम	–	सदस्य
4–	नगर निगम/विकास प्राधिकरण	–	सदस्य
5–	परियोजना अधिकारी यूपीनेडा	–	सदस्य सचिव

III) नीति की संचालन अवधि में प्रचार–प्रसार हेतु निम्न फण्ड उपलब्ध होगा :–

1–	नगर निगम मुख्यालय	–	रु 2.0 लाख
2–	नगर पालिका मुख्यालय	–	रु 1.0 लाख

15 उत्तर प्रदेश सौर एनर्जी डवलपमेण्ट फण्ड (यूपीएसईडीएफ)

राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से यूपीनेडा में कारपस फण्ड बनाया जायेगा। इस फण्ड में कैश एवं काइंड (नालेज शेयरिंग) के रूप में सहायता प्राप्त की जाएगी। इस फण्ड का उपयोग राज्य में सौर ऊर्जा विकास हेतु किया जायेगा।

इस फण्ड में नोडल एजेन्सी द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषित संगठनों से सहायता अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा तथा इस फण्ड से राज्य नोडल एजेन्सी को स्टेट एक्शन प्लान फार क्लाईमेट चेन्ज के तहत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने से सहयोग प्राप्त होगा।

इस कारपस फण्ड का उपयोग सौर ऊर्जा के संस्थागत ढांचे को विकसित किये जाने संबंधित गतिविधियों पर किया जायेगा। इस फण्ड का व्यय स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

16 सौर परियोजनाओं को पूर्ण करने की समयावधि

सौर परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि, एमएनआरई द्वारा निर्गत बिडिंग अभिलेख और दिशानिर्देशों में उल्लेख के अनुसार होगी। परियोजना के स्थापना में किसी भी प्रकार के विलम्ब की स्थिति में पेनाल्टी, निष्पादित अनुबंध के अनुसार होगी।

17 सौर उपकरणों का विनिर्माण

a) राज्य में सौर ऊर्जा **Ecosystem** (परिस्थिति की) के विकास के लिये सौर उपकरण निर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

b) निवेश की प्रकृति के आधार पर तत्समय प्रचलित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई) नीति अथवा उत्तर प्रदेश निवेश तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन एवं लाभ पात्र निर्माताओं को उपलब्ध होंगे।

18 रोजगार सृजन एवं कौशल विकास

A) आगामी 5 वर्षों में यूपीनेडा के प्रशिक्षण केन्द्रों, यूपी कौशल विकास मिशन एवं National Institute of Solar Energy (NISE) के अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों एवं आई.टी.आई. में 30000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

B) सूर्य मित्र, सोलर सिस्टम (सौर स्ट्रीट लाइट, सोलर पावर प्लांट आदि) की स्थापना, संचालन, मरम्मत और रखरखाव के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

C) यूपी कौशल विकास मिशन और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार सूर्य मित्र को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

D) नागरिक सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन सूर्य मित्रों को सेवा पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

E) राज्य सरकार की जेलों में कैदियों को सूर्य मित्र कार्यक्रम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

19 नीति में संशोधन और व्याख्या का अधिकार

उत्तर प्रदेश सरकार को इस नीति के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानों का संशोधन/समीक्षा/व्याख्या/शिथिल करने का अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
दूरभाष : 0522 – 2720652, 2720829